

महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां (दिसम्बर, 2008 से नवम्बर,,2009 तक)

नीतिगत निर्णय एवं उनकी आदिनांक क्रियान्विति की स्थिति

क्र.सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति
1	2000 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना प्रारंभ	आई. सी. टी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय फेज में 2000 स्कूलों से सम्बन्धित निविदा दिनांक 06.10.2009 को जारी की जा चुकी है एवं समाचार पत्रों में दिनांक 08.10.2009 को प्रकाशित हो चुकी है।
2	कक्षा 10 एवं 12 में सत्रांक 10 के स्थान पर 20	वर्ष 2009 की परीक्षा से प्रारम्भ किया जा चुका है।
3	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा विभिन्न रोजगारोन्मुखी / व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत।	राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 09-10 के बजट में 500 रा.उ.मा.वि. में विज्ञान/वाणिज्य संकाय शुरू करने की बजट घोषणा की है, जिसके लिए 1000.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ कार्यालयों से विद्यमान राजकीय उमावि, जिनमें विज्ञान/ वाणिज्य संकाय वर्तमान में स्वीकृत नहीं है, इनमें संकायों को खोले जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 05.11.2009 के अनुसार 300 विद्यालयों में विज्ञान, 167 में वाणिज्य एवं 33 में कृषि विषय खोलने हेतु पुनः प्रस्ताव प्राप्त कर समेकित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
4	साइकिल वितरण की स्थिति	सत्र 2009-10 हेतु बालिकाओं को वितरित करने योग्य साइकिलों की वास्तविक संख्या प्राप्त की जा रही है। अब तक प्राप्त वितरित किये जाने योग्य साइकिलों की संख्या की स्थिति इस प्रकार है:- माध्यमिक शिक्षा में 40175 एवं संस्कृत शिक्षा में 878 कुल 41053 साइकिले 2009-10 हेतु निविदा में चयनित सम्बन्धित फर्म को क्रय आदेश माह अक्टूबर, 2009 को दिये जा चुके हैं जिसके तहत साइकिल वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
5	नाबार्ड योजना	वर्ष 2008-09 के 29 अधूरे कार्यों हेतु 27.00 लाख रुपये का आवंटन किया जाकर कार्य पूर्ण करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

6	बालिका छात्रावास	राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक मुख्यालय में 49 बालिका छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं एवं 68 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।
7	मॉडल स्कूल स्थापना	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल की स्थापना बाबत 32 ब्लॉक्स में 5-10 एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है एवं 34 के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं एवं 23 के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।
8	ट्रांसपोर्ट वाउचर	वर्ष 2009-10 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को जिले वार बजट अनुभाग द्वारा 19.05.2009 को 198.50 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं।
9	गार्गी पुरस्कार	वर्ष 2009-10 में 75 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाली सैकेण्डरी/प्रवेशिका की बालिकाओं को देय गार्गी पुरस्कार की संख्या 17761 है व सीनियर सैकेण्डरी व वरि. उपाध्याय परीक्षा की 3274 छात्राएं हैं जिन्हें बसन्त पंचमी को पुरस्कृत किया जावेगा।
10	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	सत्र 2009-10 में कक्षा 09 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा छात्रों को किया जा चुका है। इस याजना के सत्र 2009-10 में राशि 13.50 करोड़ रुपये प्रावधित हैं। राशि के भुगतान हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से बिल मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है।

रिक्त पदों को भरने के प्रयास

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद			भरने के प्रयास
			डीपीसी से	सीधी भर्ती के	कुल	
1-	प्रधानाचार्य एवं समकक्ष	3186	964	0	964	समस्त डीपीसी के पद हैं। डीपीसी वर्ष 2002-03 तक सम्पन्न हुई है आगामी वर्षों की डीपीसी हेतु वउजिशिअ पद की डीपीसी सम्पादित होने के उपरान्त की जानी संभव होगी। वरि.उप.जिशिअ की डीपीसी के प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये जा चुके हैं।
2-	प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष	6305	2197	1265	3462	वर्ष 2008-09 के 1265 पदों के प्रस्ताव RPSC, Ajmer को 12.01.09 को प्रेषित पुनः संशोधित प्रस्ताव 06.03.2009 एवं 24.07.2009 को प्रेषित। वर्ष 03-04 हेतु 257 पदों की डीपीसी प्रस्तावित किये गये हैं जिसपर आयोग द्वारा आक्षेप लगाये गये हैं। उक्त वर्ष की डीपीसी में 257 पद आरक्षित वर्ग के बनते हैं। अतः 7 गुना पात्रता में आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण यह उचित समझा गया कि प्रधानाचार्य एवं व.उप.जिशिअ पद की डीपीसी वर्ष 2003-04 तक करवाने पर अधिक संख्या में पद उपलब्ध हो जावेंगे जिससे पात्रता परिधि में विस्तार होने से पर्याप्त अशार्थी चयन हो सकेंगे। अतः उच्च पद प्रधानाचार्य / व.उप.जिशिअ की डीपीसी करवाकर इस पद की डीपीसी करवानी प्रस्तावित है।
3-	शारीरिक शिक्षक / कोचग्रेड-1 / समकक्ष	242	78	21	99	2007-08 तक के 40 पदों पर डीपीसी करवा दी गई है।

4-	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-1	40	13	0	13	वर्ष 2002-03 की डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5-	व्याख्याता / समकक्ष	19575	6072	1622	7694	नियमानुसार स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत डीपीसी से भरेजाने का प्रावधान है। वर्तमान में विभिन्न विषयों के रिक्त 8147 पदों में से विषयों की गणना की जा चुकी है नव कमोन्नत विद्यालयों के 1622 पद जो सीधी भर्ती के हैं अर्थना आयोग को प्रेषित की जा चुकी है, हिन्दी व संस्कृत विषयों के अलावा संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। शेष प्रक्रियाधीन हैं। पदोन्नति अभ्यास के विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर डीपीसी के प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये जा चुके हैं।
6-	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-11 / समकक्ष	37420	3061	8946	8651	वर्ष 2007-08 तक की डीपीसी की कार्यवाही मण्डल अधिकारियों द्वारा सम्पादित की चुकी है। सीधीभर्ती के पदों को भरने हेतु 8946 पदों की अर्थना लोक सेवा आयोग को दिनांक 02.09.2009 को प्रेषित किये जा चुके हैं।
7-	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-11 / समकक्ष	1597	130	280 62 Post Backlog	410	वर्ष 2007-08 तक की डीपीसी की कार्यवाही मण्डल अधिकारियों द्वारा सम्पादित की चुकी है एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति दिनांक 24.08.2009 के क्रम में सीधी भर्ती के शाशि अनुदेशक ग्रेड-11 के 207 एवं ग्रेड-111 के 793 पदों की अर्थनाएं दिनांक 15.10.2009 को लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है।
8-	अध्यापक-111	12583	0	0	2849	अध्यापक-111 के नियुक्ति अधिकारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा होने के कारण उक्त पदों को भरने हेतु लिखा जा चुका है।

- पाते वेतन में प्रधानाचार्य पद पर 1045 एवं प्रधानाध्यापक पद 1967 लगाये गये एवं तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पद पर 12360 लगाए गए।

दिसम्बर,2008 से सन्दर्भित माह तक अर्जित वित्तिय एवं भौतिक उपलब्धियां

Annual Plan 2009-10

Director, Secondary Education Raj. Bikaner

Financial progress up to Oct., 09

Rs. In lacs

S.N.	Scheme	Outlay 2009-10	Expendit ure during the month	Expendi ture up to the month 10/09	Sex Disaggregated Expenditure Based on col-5	
					Male	Female
0	1	2	3	4	5	6
1	Estab. of DD Office Bharatpur	15.00	1.29	11.12	7.78	3.34
2	Hire private Vehicle	2.00				
3	Computerisation of Education	9.00		0.28	0.20	0.08
4	State level Ministerial Award	0.60			0.00	0.00
5	Inspection (Jeep Rent)	10.00	0.94	2.50	1.75	0.75
6	Incentives for Meritorious Girls	250.00				
7	Bank F.D.for Girls class 9 to 12	15.00				
8	District Computer Centre	10.00	0.75	0.91	0.64	0.27
9	Teacher Education (Teacher Training)	3.00		0.70	0.49	0.21
10	SC Student Scholarship	70.00	3.50	12.50	8.75	3.75
11	ST Student Scholarship	50.00	13.24	16.20	11.34	4.86
12	OBC Student Scholarship	25.00				
13	Pre-kargil Scholarship	2.00	0.38	0.38	0.27	0.11
14	Const. School Building, Badopal/Samdari	100.00		95.99	67.19	28.80
15	Girls Hostel & Toilets (TFC)	12.00				
16	Up gradation of UPS to SS	11250.00	454.31	2690.73	1883.51	807.22
17	Up gradation of SS to Sr. SS	2000.00	360.52	1691.36	1183.95	507.41
18	Add. Faculty & Subject	1030.00	2.99	24.60	17.22	7.38
19	Teacher of Language Minority	10.00	1.04	5.71	4.00	1.71
20	I.C.T 25% State Share	1000.00		55.00	38.50	16.50
21	Cycle distribution for rural girls	500.00	12.05	91.17		91.17
22	Transport Voucher for Girls	300.00	2.96	104.68		104.68
23	State Talent Development	3.00				
24	Training Programme in SIERT	3.00				
25	Talent Scholarship for X th SC/ST Girls of Rural Areas	5.00				
26	Deaf Dumb & Blind School	35.00	2.54	20.34	14.24	6.10
27	Physicle Edu. Under NSS	103.00				
28	English Integrated Shiksha 50% S.S	5.00				
29	Success Budget 50%state share:-	0.01				
30	Education Voucher Scheme	0.01				
31	Prize to Govt. school/Teacher	0.01				
32	National Telent Scholorship	15.00				
33	Construction of Girls Hostel					
34	IEDSS	1.80				
35	Bal Ganesh Chiranjivi Yojana	0.01				
36	Estab. of DEO Office Pratapgarh	25.00		0.56	0.39	0.17
37	Estt. Of 186 model school in EDB area					
	Total Secondary Education	16859.44	856.51	4824.73	3240.22	1584.51
B	Computerisation of Sec. Edu.	25.00				
C	NABARD (RIDF) Loan XI	800.00	0.98	12.47	8.73	3.74
	PHYSICAL EDUCATION					
1	Providing Sports material & Development of play ground	5.00				
2	State level Scholarship for national/Inter National Runner/Winner	3.00		4.18	2.93	1.25
3	State level ministerial games & tournament	2.00				
	Total Physical Education	10.00		4.18	2.93	1.25

विभिन्न पदों पर दी गई नवीन नियुक्तियां एवं विभागीय पदोन्नतियों, सृजित नवीन पदों का विवरण (परिशिष्ट-2)

(परिशिष्ट-2)

सृजित पद एवं नियुक्तियों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	दिसम्बर,2003 से अक्टूबर,2004 तक की प्रगति					दिसम्बर,2008 से नवम्बर,2009 तक की प्रगति				
		नवीन सृजित पद	दी गई नियुक्तियां			पदोन्नतियां	नवीन सृजित पद	दी गई नियुक्तियां			पदोन्नतियां
			नियमित	संविदा	मृतक आश्रित			नियमित	संविदा	मृतक आश्रित	
1	जिशिअ एवं उच्च अधिकारी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26
2	वरि.उप.जिशिअ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	226
3	प्रधानाचार्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	101
4	प्रधानाध्यापक	0	525	0	0	0	26	0	0	0	0
5	उप जिशिअ(शाशि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6	ब्यख्याता	3	186	0	0	0	0	0	0	0	278
7	वरिष्ठ अध्यापक	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
8	शारीरिक शिक्षक- II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	शारीरिक शिक्षक- III	0	293	0	0	0	0	0	0	2	0
10	कार्यालय अधीक्षक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कार्यालय सहायक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	निजी सहायक/ शीघ्रलिपिक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
14	वरिष्ठ लिपिक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	कनिष्ठ लिपिक	1	400	0	0	0	2	138	0	294	0
16	प्रयोगशाला सहायक- III	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	पुस्तकालयाध्यक्ष- III	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	प्रयोगशाला सहायक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	सहायक कर्मचारी	0	257	0	0	0	2	0	0	176	0
	महायोग	5	1751	0	0	0	36	138	0	472	648

विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग एवं क्रियान्वित किये गये नवाचार (प्रत्येक के संबंध में संक्षिप्त सार एवं आदिनांक प्रगति अंकित करें)

क्र.सं.	लागू किया गया नवाचार	वर्तमान प्रगति
1	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	दिनांक 24.11.2009 को शिक्षा संकुल जयपुर में उप निदेशकों एवं RMSA से सम्बन्धित समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों की बैठक में दिनांक 15.12.2009 तक राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के डाटा केप्चर फार्मेट को भरकर जिशिअ कार्यालयों में जमा करवाए जाने का निर्णय लिया गया जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस माह के अंत तक ऑन लाईन डी.सी.एफ. की फीडिंग करके सूचनाएं फ्रीज कर दी जाने का निर्देश दिया गया। इस हेतु निदेशालय के सक्सेस प्रकोष्ठ में एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई।
2	16074 बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक बालिका को 3000/- रुपये की एफ.डी.आर.	राशि आहरित कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को जमा करवाई जा चुकी है। इस क्रम में भारत सरकार के पत्रांक डीओ नं. -7-40/2008-09 दिनांक 21.08.2009 द्वारा बालिकाओं के गृह पते सम्बन्धित नवीन सूचना नये निर्धारित (संशोधित) प्रपत्र-3 में चाही है जिसके लिए सभी अधीनस्थ जीशिअ(मा-1/11) कार्यालयों को पत्र दिनांक 01.09.2009 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। अब तक लगभग 36 कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त हो चुकी है शेष की सूचनाएं एकत्रित कर यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रेषित कर दी जावेगी।

वर्ष 2009-10 के महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा संन्दर्भित माह तक की प्रगति

Annual Plan 2009-10

Statement Showing Expenditure & Release Position Under centrally Sponsored Schemes/ SCA

Office of the Director of Secondary Education, Rajasthan, Bikaner

Proforma-II

Scheme	Through Budget/out Side Budget	Funding pattern	Position As on 01.04.09				2009-10							Postion as on 31.10.09		
			Pending to be received from GOI	Unspent Balance of		Latest Outlay		Central Share Released by			State share Released	Actual Expenditure Up to the Month 10/09		Pending to be received GOI	Unspent Balance of	
				central share	State share	central Share	state Share	Govt. of India to		Govt of Raj. To Deptt.		central share	State share		central share	State share
								Govt of Rajasthan	Department							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Award of scholarship to the student of High/Higher sec. school studying Sanskrit	Through Budget	100%		1.10		0.01								0.00	1.11	
Pre metric O.B.C Scholarship	T.B.	50%	331.18			0.01								331.18	0.01	
Area Intensive prog.Backward Min (Urdu Teacher)	T.B.	100%		5.40		5.12									10.52	
I. C. T.	T.B.	75%		308.50		4500.00	1000.00					166.00	55.00	166.00	4642.50	
vocational Education		75%	237.37											237.37	0.00	
I.E.D.C	T.B.	100%	173.81			98.00						60.46		234.27	37.54	
Upgrading of merit of SC Scholarship	T.B.	100%				15.00										
Upgrading of merit of ST Scholarship	T.B.	100%				10.00		6.24				5.44		5.44	0.80	
Estt. Of I.A.S..E.	T.B.	100%	161.81			75.00						38.95		200.76	36.05	
Estt. of C.T.E.	T.B.	100%				180.00								0.00	180.00	
Distt. Centre of English	Outside budget	100%				10.25						5.54		5.54	4.71	
English integrated shiksha	Outside budget	50%				5.00	5.00							0.00	5.00	
N.S.S	TB	7.5				144.00	103.00							0.00	144.00	
IEDSS (Inclusive Edu.of the Disable at the Sec.Stage) (300 Students @ 3000/- per Year Per Student)	TB	90%				4.50	1.80							0.00	4.50	
National Means Cum Merit Scholarship Scheme	Outside budget	100%				0.01	15.00							0.00	0.01	
National Scheme of Incentive to Girls for Sec. Edu.	Outside budget	100%				482.23		482.22				482.22		482.22	0.01	
Total			904.17	315.00	0.00	5529.13	1124.80	488.46				758.61	55.00	1662.78	5085.52	0.00

Annual Plan 2009-10

Director Secondary Education Rajasthan Bikaner

Month 10/09

S.No.	Scheme/Item	Unit	Physical Targets	Achievements up to October, 09
1	2	3	4	5
1	Incentives for Meritorious Girls	Student	17000	
2	Bank F.D.for Girls class 9 to 12	Student	3000	
3	SC Student Scholarship	Student	63175	
4	ST Student Scholarship	Student	49688	
5	OBC Student Scholarship	Student	16871	
6	Pre-cargil Scholarship	Student	91	
7	Girls Hostel & Toilets (TFC)	Hostel-31	Hostel-31	14
8	Up gradation of UPS to SS	School	1900(5159)	3259
9	Up gradation of SS to Sr. SS	School		
10	Add. Faculty & Subject	Faculty	500(506)	5
11	Teacher of Language Minority	Teacher	34	6
12	I.C.T 25% State Share(Estab. of comp.)	School	2000(4500)	2500
13	Transport voucher	Girls	20000	
14	Cycle Distribution	Girls	40000	
15	Talent Scholarship for X Class SC/ST Girls of Rural Areas	Student	320	
16	Physicle Edu. Under NSS	School	720	
17	Success Budget 50%state share:-	School-3108	School-3108	
18	COMPUTERISATION OF SEC. EDU.	Unit	Unit	
	PHYSICAL EDUCATION			
19	State level Scholarship for national/International Runner/Winner	Student	68	

महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अन्तर्गत लाभान्वित वर्गवार यथा अनुसूचित जाति/ जनजाति महिलाओं एवं कृषकों आदि के लिए किये गये प्रयास तथा अर्जित विशेष उपलब्धियों का विवरण सत्र 2009-10(माह नवम्बर, 2009 तक)

क्रसं	छात्रवृत्ति	मद	स्वीकृत प्रावधान 2009-10 (रुपये लाखों में)	अबतक व्यय राशि	लाभान्वित छात्रों की संख्या		
					छात्र	छात्रा	योग
1	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक	PLAN	70.00	4.00	4888	2811	7699
		NON-PLAN	780.00	110.74	8626	3657	12283
		TOTAL	850.00	114.74	13514	6468	19982
2	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक	PLAN	50.00	2.00	2663	902	3565
		NON-PLAN	570.00	122.65	18363	11981	30344
		TOTAL	620.00	124.65	21026	12883	33909
3	अन्य पिछड़ावर्ग पूर्व मैट्रिक	PLAN	25.00	0	0	0	0
		NON-PLAN	76.40	0	0	0	0
		TOTAL	101.40	0	0	0	0
4	प्री-कारगिल(01.04.1999 से पूर्व) शहीद/ स्थाई विकलांग सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति	PLAN	2.00	0	0	0	0
5	कारगिल(01.04.1999 से पूर्व) शहीद/ स्थाई विकलांग सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति	NON-PLAN	8.50	0	0	0	0
6	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति	NON-PLAN	3.60	0	0	0	0
7	अस्वच्छकार छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक	PLAN	40.00	17.13	1098	743	1841
8	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक	PLAN	1000.00	127.16	14051	5376	19427
9	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक	PLAN	900.00	130.93	13487	7495	20982
10	अल्प संख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	PLAN	11.20	11.18	718	346	1064
		CSS	33.60	32.15	1498	489	1987
		TOTAL	44.80	43.33	2206	835	3051

इस तालिका का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

माध्यमिक शिक्षा

सत्र 2009-10 में 05 माह के लिए (जुलाई से नवम्बर,2009) लाभान्वितों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

अनुसूचित जाति

- कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति छात्र एवं छात्रा को क्रमशः रूपये 15 एवं 20 मासिक तथा कक्षा 9 से 10 तक के प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को क्रमशः रूपये 30 एवं 40 मासिक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर से प्रदान की गई, जिसमें 19982 छात्र-छात्रा लाभान्वित हुए।
- कक्षा 11 से 12 तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति के डे-स्कॉलर एवं होस्टलर छात्र-छात्रा को क्रमशः 140 रूपये तथा 510 रूपये मासिक की दर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें 19427 छात्र-छात्रा लाभान्वित हुए।

अनुसूचित जनजाति

- कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक अनुसूचित जनजाति छात्र एवं छात्रा को क्रमशः रूपये 15 एवं 20 मासिक तथा कक्षा 9 से 10 तक के प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को क्रमशः रूपये 30 एवं 40 मासिक की दर से पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें 33909 छात्र-छात्रा लाभान्वित हुए।
- कक्षा 11 से 12 तक के प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के डे-स्कॉलर एवं होस्टलर छात्र-छात्रा को क्रमशः 140 रूपये तथा 510 रूपये मासिक की दर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें 20982 छात्र-छात्रा लाभान्वित हुए।

अन्य पिछड़ी जाति

- कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र एवं छात्रा को क्रमशः रूपये 15 एवं 20 मासिक तथा कक्षा 9 से 10 तक के प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को क्रमशः रूपये 30 एवं 40 मासिक की दर से पूर्व मैट्रिक प्रदान की जाती है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक राजकीय/ अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008-09 से आरम्भ की गई है।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक 350/- रु. मासिक शिक्षण शुल्क एवं 500 रूपये प्रवेश शुल्क अथवा वास्तविक राशि व्यय की गई, जो भी कम हो, देने के प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार कक्षा 1 से 5 तक के गैर छात्रावासी छात्रों के लिए 100/- रु. प्रतिमाह (10 माह) तथा कक्षा 6 से 10 के लिए 600/- रु. छात्रावासी एवं 100/- रु. गैर छात्रावासी छात्रों हेतु प्रतिमाह रखरखाव भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।

छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की पात्रता अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होना, अन्य योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होना तथा पूर्ववर्ती कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु न्यूनतम वार्षिक आय के मापदण्ड को आधार रखते हुए पूर्ववर्ती कक्षा में मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रावधान है। स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति में 10 प्रतिशत कक्षा 1 के लिए 40 प्रतिशत कक्षा 2 से 5 के लिए, 30 प्रतिशत कक्षा 6 से 8 के लिए एवं 20 प्रतिशत कक्षा 9 से 10 के छात्र-छात्राओं को आनुपातिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत छात्रवृत्तियां निम्न आय वर्ग से अधिक आय वर्ग की मैरिट आधार पर छात्र-छात्राओं की संयुक्त सूची बनाकर स्वीकृत करने के साथ शेष 30 प्रतिशत केवल छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति हेतु संशोधित संख्या 66110 (मुस्लिम 55550, ईसाई 880, सिक्ख 9570, बौद्ध 110) निर्धारित की है। इस संबंध में छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर 55550 (मुस्लिम) 79 (ईसाई) 4979 सिक्ख एवं 10 बौद्ध कुल 60618 के किये जाकर प्रस्ताव तैयार कर 31.08.2009 को भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

बालिका

- भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 10 में 55 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त कर कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत पुत्री को 100 रुपये मासिक की दर से प्रतिभावान छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- कक्षा 8 उत्तीर्ण कर राजकीय/अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अविवाहित अनुसूचित जाति बालिका, जिसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम, को 3000 रुपये की एफ.डी.आर. दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें 8488 छात्राएं लाभान्वित होंगी।
- कक्षा 8 उत्तीर्ण कर राजकीय/अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अविवाहित अनुसूचित जनजाति बालिका, जिसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम, को 3000 रुपये की एफ.डी.आर. दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें 7373 छात्राएं लाभान्वित होंगी।

बालिका प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत एफ.डी.आर. बनाए जाने हेतु कुल 16074 छात्राओं के लिए प्रति छात्रा 3000/- की दर से 4,82,22,000/- रुपये स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली को दिनांक 01.09.2009 को दी जा चुकी है एवम् नवीन निर्देशानुसार समस्त पात्र छात्राओं के पते जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त किये जा रहे हैं। प्राप्त होने पर भारत सरकार को भिजवाए जावेंगे ताकि राशि का वितरण किया जा सके।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आठवीं उत्तीर्ण एवं नवीं में अध्ययनरत 213 छात्राएं लाभान्वित हुईं।

- माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत ट्रॉसपोर्ट वाउचर स्कीम अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने पर एकल या समुह के रूप में परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस की दर से दिए प्रत्येक बालिका को ट्रॉसपोर्ट वाउचर प्रदान किया जाते हैं जिसके अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के लिए 198.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत साइकिल वितरण योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की बालिका कक्षा 9 उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालय की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर तथा जिसके घर से विद्यालय से दूरी 2 किमी से अधिक एवं 5 किमी होने पर 300 रुपये के अंशदान पर साइकिल वितरण की जाती है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कुल 41053 साइकिलें वितरित की जानी है वितरण कार्य प्रक्रियाधीन है।

बालिका छात्रावास

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स में माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए प्रस्तावित बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु 49 छात्रावासों के प्रस्ताव दिनांक 12.08.2009 के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं एवं 68 छात्रावासों के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी /अल्पसंख्यक एवं बीपीएल परिवार की बालिकाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

मॉडल स्कूल

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में एक-एक मॉडल स्कूल (सीनियर सैकण्डरी स्तर का) स्थापित किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत 32 ब्लॉक्स में 5-10 एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है एवं 34 के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं एवं 23 कें प्रस्ताव भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अन्य

- अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत आयोजना मद में 40 लाख रुपये के विरुद्ध 17.13 लाख का भुगतान किया गया। जिससे 1841 छात्र-छात्रा लाभान्वित हुए।
- दिनांक 1.4.1999 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग हुए सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत पुत्र-पुत्री को 180/- रुपये मासिक की दर से प्री-करगिल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- दिनांक 1.4.1999 के पश्चात युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग हुए सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत पुत्र-पुत्री को 180/- रुपये मासिक की दर से करगिल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार की 5 वर्ष की कार्ययोजना (चुनाव घोषणा पत्र) के संकल्पों की प्रगति
नीतिगत दस्तावेज के संकल्प (घोषणा पत्र) की क्रियान्विति
प्रगति माह नवम्बर, 2009

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	घोषणा की बिन्दु संख्या	घोषणा	वर्ष 2008-09 की प्रगति	वर्ष 2009-10 की प्रगति/कार्य योजना
1	2	3	4	5
1	3.3.	शिक्षा की बजट राशि में वृद्धि		वर्ष 2009-10 में 8634.44 लाख रुपये की आयोजना सीलिंग प्रदान की गई थी। परिवर्तित बजट में वर्ष 2009-10 हेतु आयोजना मद में 16884.44 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
2	3.4	प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक सभी बालिकाओं/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिये जन जागरण एवं उपयुक्त प्रोत्साहन	प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी बालिकाएँ शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए जनजागरण एवं उपयुक्त प्रोत्साहन हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, पोषाहार, विविध छात्रवृत्तियाँ गार्गी पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार, टान्सपोर्टवाउचर, साईकिल वितरण, एफडीआर वितरण, आर्थिक सबलता पुरस्कार, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, आपकी बेटी योजना, एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, कम्प्यूटर शिक्षा, छात्रावासों का संचालन, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा आदि योजनाएँ संचालित हैं।	
3	3.5	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा	शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिये वर्तमान में कम्प्यूटर शिक्षा की विभिन्न योजनाएँ प्रदेश के रामावि/राउमावि में संचालित की जा रही हैं। 32 जिला मुख्यालयों पर बहुउद्देशीय जिला कम्प्यूटर केन्द्र, 2500 स्कूलों में प्रथम फेज़ में एवं	वर्तमान में कुल 3108 राउमावि है। इनमें से 436 विद्यालयों में वाणिज्य एवं 529 विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित है। सत्र 1998-99 से विज्ञान/वाणिज्य संकाय स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 09-10 के बजट में 500 रा.उ.मा.वि. में विज्ञान/वाणिज्य संकाय शुरू करने की बजट घोषणा की है, जिसके लिए 1000.00 लाख रुपये का प्रावधान

		विभिन्न रोजगारोन्मुखी / व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत।	2000 विद्यालयों में द्वितीय फेज़ में महत्वाकांक्षी आई सी टी योजना, 170 स्कूलों में ग्रेस प्रोजेक्ट कम्प्यूटर कार्यक्रम आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को शामिल करने से छात्र छात्राओं को भविष्य में रोजगार आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी।	किया गया है। अधीनस्थ कार्यालयों से विद्यमान राजकीय उमावि, जिनमें विज्ञान/वाणिज्य संकाय वर्तमान में स्वीकृत नहीं है, इनमें संकायों को खोले जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 05.11.2009 के अनुसार 300 विद्यालयों में विज्ञान, 167 में वाणिज्य एव 33 में कृषि विषय खोलने हेतु पुनः प्रस्ताव प्राप्त कर समेकित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
4	3.7	अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सच्चर कमेटी की सिफारिशों का राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वयन		<p>सच्चर समिति के परिप्रेक्ष में निम्नांकित व्यवस्थाएँ पूर्व से संचालित हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से मुस्लिम बच्चों में सामाजिक मूल्यों, विशेषतौर से धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना। 2. उर्दू बालने वाले क्षेत्र के राजकीय/अनुदानित उ मा.विद्यालयों में उर्दू ऐच्छिक विषय के रूप में स्वीकृत करना। 3 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बालिकाओं के लिए अलग से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना। <p>निम्नांकित बिन्दुओं पर राज्य सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए पत्रांक शिविरा-माध्य/भा.अ./22699/सच्चर समिति/08-09/22 दिनांक 04/03/09 के द्वारा राज्य सरकार को लिखा जा चुका है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 मुस्लिम परिवार में स्थानाभाव होने से बच्चों की पढाई पर विपरीत असर पडने के कारण मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थानीय सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करना। 2. मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अलग से उच्च गुणवत्तायुक्त रा.मा.वि./रा.उ.मा.वि. स्थापित करना। 3. सह शिक्षा वाले विद्यालयों में अधिक से अधिक महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना। 4. उर्दू अध्यापकों के पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित नहीं करना।

5	3.8	<p>राज्य में शिक्षको /शारीरिक शिक्षको, उर्दू एवं संस्कृत शिक्षको के रिक्त पदों, सभी पदों पर नियुक्तियां।</p>	<p>1. प्रधानाध्यापक मावि के सीधी भर्ती के 1265 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को प्रेषित की जा चुकी है। आयोग द्वारा लगाये गये आक्षेप की पूर्ति कर दिनांक 26/6/2009 को सूचना प्रेषित।</p> <p>2. व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों के सीधी भर्ती के 1622 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को 18/12/08 को प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें संस्कृत के 101 पद शामिल हैं, आयोग द्वारा विज्ञप्ति 3.02.09 को प्रकाशित करने के उपरांत राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र आदि विषयों की संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर साक्षात्कार हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। उर्दू के 02 पदों की अर्थना आयोग को 16/01/09 को भेजी गई है। विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है।</p> <p>3. वरिष्ठ अध्यापको के सीधी भर्ती अभ्याश के पदों पर विषयवार 5590 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र दिनांक 1.08.08 के द्वारा प्रेषित एवं आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित।</p> <p>4. उच्च प्राथमिक विधालय के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के सीधी भर्ती अभ्याश के 3356 पदों पर नियुक्ति हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा</p>	<p>वरिष्ठ अध्यापकों के सीधी भर्ती हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प. 17(2)शिक्षा-2/08 पार्ट दिनांक 25/6/09 के द्वारा 5590 एवं 3356 पदों को जोडकर 8946 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>राज्य सरकार के ही पत्रांक प.17(2)शिक्षा-2/08 पार्ट दिनांक 22/7/09 के द्वारा कुल 8946 पदों में से गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में 5877 चयनित आशार्थियों को माध्यमिक शिक्षा में तथा हिन्दी, सा0 विज्ञान एवं तृतीय भाषा के 3069 पदों पर</p>
---	-----	--	--	---

		<p>आयोग को पत्र दिनांक 2/3/2009 के द्वारा भेजी जा चुकी है । विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं ।</p> <p>5 उर्दू विषय के रिक्त 35 तथा संस्कृत के 480 द्वितीय वेतन श्रृंखला के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 1.08.08 को प्रेषित, विज्ञप्ति प्रकाशित ।</p> <p>6. शारीरिक शिक्षको के पदों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पी आई पी में सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य सरकार के निर्देश । आयुक्त सर्व शिक्षा अभियान को कार्यवाही हेतु 13.05.09 को लिखा गया ।</p> <p>7. अध्यापक तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर अध्यापक उपलब्ध करवाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को 1.04.09 को लिखा जा चुका है ।</p>	<p>चयनित आशार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा को सुपूर्द किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, तदनुसार पत्र दिनांक 17/8/09 के द्वारा संशोधित अर्थना आयोग को भिजवाई गई ।</p> <p>आयोग को प्रेषित संशोधित अर्थना दिनांक 17/8/09 में उर्दू विषय के 35 तथा संस्कृत के 911 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना भिजवाई गई ।</p> <p>राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24/8/09 के द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II के 207 तथा शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III के 793 पदों पर भर्ती हेतु अनुमति प्रदान की गई है ।</p> <p>अध्यापक तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर अध्यापक उपलब्ध करवाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को दिनांक 14/5/09, 5/06/09 एवं 13.7.2009 को स्मरण पत्र भिजवाया गया ।</p>
6	3.09	<p>राज्य में उच्च गुणवत्ताके विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों एवं शोध संस्थानों की स्थापना में निजी क्षेत्रों की भूमिका का विस्तार तथा तदनुरूप सरकारी</p>	<p>पीपीपी योजना के अन्तर्गत भामाशाहों के सहयोग से रुपये 20.00 लाख के पूंजीगत भवन निर्माण तथा रुपये 1.35 लाख के अनावर्तक व्यय किए जाने की शर्त पर 28 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इनमे से 5 विद्यालयों को स्वीकृति दी जा चुकी है ।</p>

		सुविधाएँ उपलब्ध कराने की गारंटी।		
7	3.14	विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा।	आई.सी.टी. योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रथम फेज़ में स्वीकृत 2500 विद्यालयों में से 2500 राजकीय विद्यालयों में योजना संचालित की जा रही है। 2454 विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति की जाकर कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की जा चुकी है। द्वितीय फेज़ हेतु 2000 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु निविदाएं जारी की जा चुकी है।	आई.सी.टी. योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत 2000 विद्यालयों का चिन्हीकरण हो चुका है। निविदा डोक्युमेंट दिनांक 06.10.2009 को जारी की जा चुकी हैं एवम् समाचार पत्रों में दिनांक 08.10.2009 को प्रकाशित की जा चुकी है। आई.सी.टी. योजना तृतीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत 2000 विद्यालयों का चिन्हीकरण किया जा चुका है।
8	3.15	सभी जिला मुख्यालयों पर भूमि की उपलब्धता के अनुसार छात्र-छात्राओं को छात्रावास के लिए सरकारी एवं निजी संस्थानों को भूमि का सुनिश्चित आवंटन। तहसील स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रावास हेतु भूमि का आवंटन	नवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के सभी जिला एवं मण्डल मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास का निर्माण करवाया जा चुका है। वर्तमान में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 27 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाने हेतु 27 पिछड़े ब्लॉक के प्रस्ताव वर्ष 2008-09 हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।	वर्ष 2009-10 के लिए 49 पिछड़े ब्लॉक में बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं एवं 68 प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।
9	3.18	प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर	विभाग के पत्र दिनांक 13.10.08 द्वारा विभाग में बैकलॉग के पदों पर भर्ती किये जाने हेतु निम्न पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रेषित की गयी। आयोग द्वारा विज्ञिप्त भी प्रकाशित :-	द्वितीय वेतन श्रंखला शा.शि के 62 तृतीय वेतन श्रंखला शा.शि के 405 समस्त शारीरिक शिक्षकों के पदों की रिक्तियां बैकलॉग के अन्तर्गत विज्ञापित करवाकर संवीक्षा परीखा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवा दी गई है।

		प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां।	(1)द्वितीय वेतन श्रृंखला- गणित-18 विज्ञान-06 अंग्रेजी-11 शा.शिक्षक-62 (2)तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षक-405	
10	3.21	भाजपा सरकार द्वारा राज्य के विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश बन्द करने की कार्यवाही को निरस्त कर प्रवेश की बहाली तथा उनकी समस्त प्रकार की फीस राजस्थान सरकार द्वारा वहन किए जाने की गारंटी।		राज्य सरकार द्वारा पत्रांक प.19(5)शिक्षा-2/2002 दिनांक 24.7.2003 से छात्र/छात्राओं की 1100 की सीमा निश्चित कर दी गई तथा योजना चालू रखी गई। इस प्रकार यह योजना बन्द नहीं हुई, बल्कि 1100 की सीमा रखने से कक्षा 6 में वर्ष 2003-2004 से 2006-2007 तक प्रवेश नहीं दिये गये। वर्तमान में कुल 660 अनुसूचित जाति एवं 440 अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की संख्या निर्धारित है। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकतम छात्र/छात्राओं का शैक्षिक विकास करने की दृष्टि से 1100 की सीमा को बढ़ाकर 1500 करना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रति विद्यार्थी औसत व्यय रुपये 35000/- प्रतिवर्ष है। अब प्रति विद्यार्थी अनुमानित व्यय रुपये 50000/- की दर से अन्तर राशि रुपये 15000/- के अनुसार 1100 विद्यार्थियों पर (1100 X 15000) रुपये 1.65 करोड़ तथा छात्र/छात्राओं की सीमा 1100 से 1500 किये जाने पर 400 विद्यार्थियों पर अतिरिक्त व्यय भार (400*50000) रुपये 2 करोड़ होगा अर्थात् कुल अतिरिक्त व्यय भार रुपये 3.65 करोड़ होगा।
11	3.25	राज्य के अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की अनुदान संबंधी समस्याओं का समाधान एवं रिक्त पदों पर नियुक्तियां।		सहायता प्राप्त संस्थाओं में 1999 से नवीन नियुक्तियों पर रोक है तथा गत वर्षों से लगातार रुपये 4500.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया जा रहा है। बजट के अभाव में वर्ष 2008-09 में ही रुपये 1732.00 लाख की देयताएं बकाया रह गई है। गत वर्षों में भी मांग के अनुसार भुगतान नहीं हो पाया है। ऐरियर आदि के भुगतान के लिए विभिन्न संस्थाएं/कर्मचारियों द्वारा लगभग 800 न्यायिक वाद दायर कर रखे हैं अभी तक इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की

सिफारिशों के अनुसार वेतन भत्तों के भुगतान के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना है। वर्ष 2009-10 के लिए आवंटित बजट से रूपये 16002.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(29)शिक्षा-5/07 दिनांक 30.4.2008 के द्वारा पूर्व में जारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अनुदान वर्ष 2004-05 के आधार पर फ्रीज करने हेतु आदेश प. 17(74)शिक्षा-5/91 दिनांक 24.3.2006 को निरस्त किया गया। आदेश दिनांक 30.4.2008 के तहत सहायतार्थ अनुदान को वर्ष 2005-06 से डी-फ्रीज करने एवं एरियर के भुगतान करने पर वित्तीय देयता वर्षवार निम्नानुसार रहेगी:- (राशि लाखों में)

वर्ष	वित्तीय भार	पूर्व में आवंटित बजट	अतिरिक्त वित्तीय भार
2005-06	5150.00	4500.00	650.00
2006-07	5401.10	4500.00	901.10
2007-08	6000.00	4500.00	1500.00
2008-09	6232.00	4500.00	1732.00
Total	22783.10	18000.00	4783.10

वर्ष	चालू दायित्व	2002-03 से 2004-05 तक रोकई गई राशि	गत वर्षों के बकाया अन्तिमीकरण	वेतन स्थिरिकरण, व। एरियर	10.6.99 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों का बकाया	कुल वित्तीय भार (2009-10)
2009-10	7763.00	734.13	435.98	720.00	346.32	9999.43

2820.07

चयनित वेतनमान (28.02.02 से 31.3.09 तक)

हेतु वित्तीय भार:-

योग (4783.10+9999.43+2820.07) **17602.60**

वर्ष 2009-10 के लिए आवंटित बजट 4500.00

अतिरिक्त राशि की आवश्यकता :- 13102.60

				<p>छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर अनुमानित वित्तीय आवश्यकता 2900.00</p> <p>कुल अतिरिक्त आवश्यकता रूपये 16002.60 (13102.60+2900.00):-</p> <p>वर्ष 2009-10 के लिए आवंटित बजट से 16002.60 लाख रूपये की अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी।</p>
12	14.1	<p>जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त अदीब (सैकण्डरी) अदीब माहिर (सी०सैकडरी) अदीब कामिल (स्नातक) एवं मोअल्लिम (बी.एड) डिग्रियों को अन्य राज्यों की भांति राज्य के सम्बन्धित बोर्ड्स एवं विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए मान्यता</p>		<p>अदीब परीक्षा (गणित व अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण होने पर)को माध्यमिक स्तर परीक्षा एवं अदीब माहिर (अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण होने पर) को उच्च माध्यमिक स्तर की एवं अदीब कामिल को बी०ए० के समकक्ष मान्यता है। मोअल्लिम को बी.एड के समकक्ष मान्यता नहीं है। अतः मोअल्लिम को बी.एड के समकक्ष मान्यता के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्तर पर परीक्षण करवाया जाकर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</p>

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट अभिभाषण 2009-2010 में विभाग से संबंधित की घोषणा क्रियान्विति 9/2009

S. No	Para No	Announcement	Progress/Action taken
1	76	महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को देय पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति में वृद्धि की जायेगी । कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को 20 रूपये के स्थान पर 75 रूपये एवं कक्षा 9 से 10 तक की छात्राओं को 40 रूपये के स्थान पर 100 रूपये की छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है । इस हेतु 17 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है ।	शिविरा-माध्य/योजना-6/20606/209-10/109 दिनांक 08.9.2009 द्वारा राज्य सरकार को संशोधित राशि के प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं। राज्य सरकार के आदेश प.19(5)शिक्षा-6/02 दिनांक 14.10.09 के द्वारा व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त ।
2	144	राज्य कि 1 हजार 900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है । अतः मैं धोषणा करता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा	ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1925 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को निदेशालय के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/ए-4/21306/2009-2010 दिनांक 08.7.2009 के द्वारा विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।
3	145	इसके साथ ही चालू वर्ष में 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे	अधिनस्थ कार्यालयों से विद्यमान राउमावि जिनमें विज्ञान/वाणिज्य संकाय वर्तमान में स्वीकृत नहीं हैं,में इन संकायों को खोलने के प्रस्ताव प्राप्त कर समेकित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है ।
4	146	राज्य के दूर-दराज इलाकों में शिक्षको की कमी है । समानीकरण की व्यवस्था लागू करने से कुछ सीमा तक इस कमी की पूर्ति की जा सकती है । समानीकरण के पश्चात्, शिक्षको के सभी रिक्त पदों को कार्यक्रम बनाकर चरणबद्ध रूप से भरा जायेगा । शिक्षक एक बड़ा वर्ग है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार शिक्षको के पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होते हैं । राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर भी साथ ही साथ भर्ती प्रारम्भ की जायेगी	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधानाध्यापक मावि के सीधी भर्ती के 1265 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है । आक्षेप पूर्ति कर सूचना 26.6.09 को प्रेषित । 2. व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों के सीधी भर्ती के 1622 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 18.12.08को प्रेषित की जा चुकी है, आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है एवं आयोग द्वारा कुछ विषयों परीक्षा लेकर परिणाम भी घोषित किया जा चुका है । 3. वरिष्ठ अध्यापको के सीधी भर्ती अभ्याश के पदों पर विषयवार 8946 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र दिनांक 2.9.09 के द्वारा प्रेषित एवं आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित । 4. उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के सीधी भर्ती अभ्याश के 3356 पदों पर नियुक्ति हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र दिनांक 2/3/2009 के द्वारा भेजी जा चुकी है । 5. उर्दू विषय के रिक्त 35 द्वितीय वेतन श्रृंखला के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 1.08.08 को प्रेषित, इसी प्रकार संस्कृत के 480 पदों की अर्थना भी भेजी गई है । 6. शारीरिक शिक्षको के पदों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पी आई पी में सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.3.09 की पालना में सर्व शिक्षा अभियान विभाग को 13.5.09 को कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है । 7. अध्यापक तृतीय श्रेणी के पदों पर अध्यापक उपलब्ध करवाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को दिनांक 1.4.09 को लिखा जा चुका है । 8. डी पी सी का प्रस्तावित कार्यक्रम निर्धारित करते हुए तदनुसार क्रियान्विति हेतु निर्देशित किया जा चुका है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

S. No	Para No	Announcement	Progress/Action taken																								
5	147	सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न श्रेणी के 17 हजार 229 शिक्षको की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।	सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित है।																								
6	148	शारीरिक शिक्षको के 1 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर इन पदों को भर दिया जायेगा	शारीरिक शिक्षको के पदों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पी आई पी में सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.3.09 की पालना में सर्व शिक्षा अभियान विभाग को 13.5.09 को कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है।																								
7	149	इस वर्ष राज्य के 2 हजार माध्यमिक विधालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की जायेगी। इससे राज्य के 4 हजार 500 विधालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिस पर 55 करोड रूपये खर्च हो अनुमानित है	I.C.T. II फेज के स्प में 2000 विधालयों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए निविदा सूचना पत्रांक शिविरा-मा/माध्य/कप्र/पबज-ग /टेन्डर / 2009 दिनांक 6.10.2009 द्वारा जारी किये एवं समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया।																								
8	151	राजकीय विधालयों में उर्दू शिक्षको के समस्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा	व्याख्याता उर्दू के 02 पदों की अर्थना लोक सेवा आयोग को दिनांक 16.1.09 को भेजी गई, द्वितीय वेतन श्रंखला के 35 पदों हेतु अर्थना दिनांक 1.8.08 को भेजी गई।																								
9	152	भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्य अल्प संख्यक समुदाय के लगभग 19 हजार बच्चों को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसे अब बढ़ाकर 66 हजार कर दिया गया है।	अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में वित्तिय वर्ष 2009-10 के प्रस्ताव भारत सरकार को निम्न प्रकार प्रस्तुत किये जा चुके हैं। <table border="1" data-bbox="969 790 2128 1031"> <thead> <tr> <th>वर्ग</th> <th>नूतन</th> <th>नवीनीकरण</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मुस्लिम</td> <td>51253</td> <td>4297</td> <td>55550</td> </tr> <tr> <td>ईसाई</td> <td>70</td> <td>9</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>सिख</td> <td>4048</td> <td>631</td> <td>4679</td> </tr> <tr> <td>बौद्ध</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	वर्ग	नूतन	नवीनीकरण	कुल	मुस्लिम	51253	4297	55550	ईसाई	70	9	79	सिख	4048	631	4679	बौद्ध	10	0	10				
वर्ग	नूतन	नवीनीकरण	कुल																								
मुस्लिम	51253	4297	55550																								
ईसाई	70	9	79																								
सिख	4048	631	4679																								
बौद्ध	10	0	10																								

गत सरकार कार्यकाल (08 दिसम्बर, 2003 से 31 अक्टूबर,2004) एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल (13 दिसम्बर, 2008 से 31 अक्टूबर, 2009) तक तुलनात्मक प्रगति

सृजित पद एवं नियुक्तियों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	दिसम्बर,2003 से अक्टूबर,2004 तक की प्रगति					दिसम्बर,2008 से नवम्बर,2009 तक की प्रगति				
		नवीन सृजित पद	दी गई नियुक्तियां			पदौन्नतियां	नवीन सृजित पद	दी गई नियुक्तियां			पदौन्नतियां
			नियमित	संविदा	मृतक आश्रित			नियमित	संविदा	मृतक आश्रित	
1	जिशिअ एवं उच्च अधिकारी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26
2	वरि.उप.जिशिअ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	226
3	प्रधानाचार्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	101
4	प्रधानाध्यापक	0	525	0	0	0	26	0	0	0	0
5	उप जिशिअ(शाशि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6	ब्यख्याता	3	186	0	0	0	0	0	0	0	278
7	वरिष्ठ अध्यापक	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
8	शारीरिक शिक्षक- II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	शारीरिक शिक्षक- III	0	293	0	0	0	0	0	0	2	0
10	कार्यालय अधीक्षक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कार्यालय सहायक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	निजी सहायक/शीघ्रलिपिक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
14	वरिष्ठ लिपिक	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	कनिष्ठ लिपिक	1	400	0	0	0	2	138	0	294	0
16	प्रयोगशाला सहायक- III	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	पुस्तकालयाध्यक्ष- III	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	प्रयोगशाला सहायक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	सहायक कर्मचारी	0	257	0	0	0	2	0	0	176	0
	महायोग	5	1751	0	0	0	36	138	0	472	648

व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वितों की प्रगति

क्र.सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति					
1	साइकिल वितरण की स्थिति	सत्र 2009-10 हेतु बालिकाओं को वितरित करने योग्य साइकिलों की वास्तविक संख्या प्राप्त की जा रही है। अब तक प्राप्त वितरित किये जाने योग्य साइकिलों की संख्या की स्थिति इस प्रकार है:- माध्यमिक शिक्षा में 40175 एवं संस्कृत शिक्षा में 878 कुल 41053 साइकिलें 2009-10 हेतु निविदा में चयनित सम्बन्धित फर्म को कृप आदेश माह अक्टूबर, 2009 को दिये जा चुके हैं जिसके तहत साइकिल वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।					
2	ट्रांसपोर्ट वाउचर	वर्ष 2209-10 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को जिले वार बजट अनुभाग द्वारा 19.05.2009 को 198.50 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं।					
3	गार्गी पुरस्कार	वर्ष 2009-10 में 75 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाली सैकेण्डरी/प्रवेशिका की बालिकाओं को देय गार्गी पुरस्कार की संख्या 17761 है व सीनियर सैकेण्डरी व वरि. उपाध्याय परीक्षा की 3274 छात्राएं हैं जिन्हें बसन्त पंचमी को पुरस्कृत किया जावेगा।					
4	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण	सत्र 2009-10 में कक्षा 09 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा छात्रों को किया जा चुका है। इस याजना के सत्र 2009-10 में राशि 13.50 करोड़ रुपये प्रावधित हैं। राशि के भुगतान हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से बिल मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है।					
5	देवनारायण योजना में अर्जित उपलब्धियों का विवरण वर्ष 2009-10 (राशि लाखों में)						
	क्रं. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम एवं संख्या	योनान्तर्गत नवीन प्रावधान राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धियां	व्यय	विशेष विवरण
	1	अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषयों की कोचिंग हेतु विशेष कम्प	22.00	1.09.09 से 30.11.09 तक शिविर संचालित किये गये	54 शिविर प्रारंभ	शून्य	
	2	राउप्रावि से मावि का संचालन	60.00	10 विद्यालय	10 विद्यालय	---	वित्त विभाग की सहमति पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों में नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है
	3	रामावि से राउमावि का संचालन	100.00	16 विद्यालय	15 विद्यालय	---	वित्त विभाग की सहमति पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों में नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है